

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप जिला-फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 145/2025
दायर दिनांक :- 20.06.2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/315
निर्णय दिनांक:- 26.09.2025

1. धनेसिंह पुत्र जुगतसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम टेपू तहसील बाप जिला फलोदी

-प्रार्थी

बनाम

1. उतमसिंह पुत्र जुगतसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम टेपू तहसील बाप जिला फलोदी
2. भगवानसिंह पुत्र जुगतसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम टेपू तहसील बाप जिला फलोदी

फौत के कायम मुकाम

- 2/1. समद कंवर पुत्री भगवानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम टेपू तहसील बाप जिला फलोदी
2/2. भंवरसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम टेपू तहसील बाप जिला फलोदी
2/3. गिरधरसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम टेपू तहसील बाप जिला फलोदी
2/4. गोपालसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम टेपू तहसील बाप जिला फलोदी
2/5. छैलूकंवर पुत्री भगवानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम टेपू तहसील बाप जिला फलोदी
2/6. तारा कंवर पुत्री भगवानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम टेपू तहसील बाप जिला फलोदी
3. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान तहसीलदार, बाप

-अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :-

1. श्री विजेय तंवर अधिवक्ता प्रार्थी

-: निर्णय :-

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय का पेश है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि प्रार्थी को अपने हिस्से पर कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल दिया जाता है तो उससे प्रार्थीगण को अपूर्ण्य क्षति होगी जिसका मुल्यांकन किया जाना संभव नहीं है। नैसर्गिक न्याय के तीनों आधारभूत सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में होने से उक्त वाद में प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी-पूरी उम्मीद है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की सामलाती खातेदार खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त की भूमि ग्राम टेपू उर्फ जोधाणी पटवार हल्का टेपू जोधाणी तहसील बाप

26.9.25

जिला फलोदी के खेत खसरा नम्बर 110 रकबा 14.2692 हैक्टेयर भूमि स्थित है। (उक्त भूमि को प्रार्थना पत्र में आगे "वादग्रस्त भूमि" के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।) नकल जमाबंदी संवत् 2076-2079 व नक्शा ट्रेस संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त वादग्रस्त भूमि ग्राम टेपू उर्फ जोधाणी पटवार हल्का टेपू जोधाणी तहसील बाप जिला फलोदी के खेत खसरा नम्बर 110 रकबा 14.2692 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी को 1/3 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 1 को 1/3 हिस्सा तथा अप्रार्थी सं. 2 को 1/3 हिस्सा बंट में आता है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 2 का अपने-अपने हिस्से अनुसार कब्जा व काश्त मौके पर चला आ रहा है। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2/1 ता 2/6 अपने उपरोक्त नापाक इरादों में सफल होने हेतु लगातार प्रयत्नशील है अगर अप्रार्थीगण सं. 1 व 2/1 ता 2/6 अपने नापाक इरादों में सफल हो जाते हैं तो प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात होगा, जिसका मुल्यांकन रूपयों में नहीं किया जा सकता और न ही क्षतिपूर्ति ही संभव है। प्रार्थी गरीब है तथा अप्रार्थीगण सं. 1 व 2/1 ता 2/6 साधन संपन्न एवं प्रभावशाली है जिनका मुकाबला करने में प्रार्थी असमर्थ है। इसलिये अप्रार्थीगण सं. 1 व 2/1 ता 2/6 को जरिये कानून रोका जाना अतिआवश्यक है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण सं. 1 व 2/1 ता 2/6 के विरुद्ध इस आशय की जारी की जावे की ग्राम टेपू उर्फ जोधाणी पटवार हल्का टेपू जोधाणी तहसील बाप जिला फलोदी के खेत खसरा नम्बर 110 रकबा 14.2692 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी के हिस्से व प्रार्थी द्वारा तैयार की गई भूमि में संलग्न नजरी नक्शा अनुसार चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो अप्रार्थीगण सं. 1 व 2/1 ता 2/6 स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावें, जिसका यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में संलग्न प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, नजरी नक्शा इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते हैं—

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का

अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

ग्राम टेपू उर्फ जोधाणी के खाता संख्या 47 सम्वत् 2077-80 की जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का अभिलिखित सह खातेदार है। प्रार्थी और अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालय हाजा में वाद अन्तर्गत 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जैरकार है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर हक हिस्सा किस स्थान पर बनता है इसका निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य सुनवाई उपरान्त की तय किया जाना है। अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का अभिलिखित सह काश्तकार होने के कारण उपयोग एवं उपयोग करने स्वतंत्र अधिकार है। अभिलिखित खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से रोका जाना उचित नहीं है।

अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में भली भांति साबित नहीं होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम सुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना पत्र और जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित सह काश्तकार है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण के जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण अपने प्राथमिक अधिकारों यथा आराजी के उपयोग व उपभोग आदि सुविधाओं से वंचित हो सकते हैं। अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

अपूर्णनीय क्षति

अपूर्णनीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

चूँकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी का दावा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचाराधीन है। प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन के दोनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हुवे हैं। अतः न्यायालय के हस्तक्षेप न करने के परिणामस्वरूप अनुतोष ईप्सित करने वाले प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति नहीं होगी।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दु यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित नहीं होने से अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26.9.25

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी

बाप (फलोदी)